

पाठ - 15

संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत

लघु उत्तर

Q1. उद्देश्य संकल्प में व्यक्त किए गए आदर्श क्या हैं?

Answer. उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। उद्देश्य संकल्प में व्यक्त किए गए आदर्श थे - → इसने भारत को एक "स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य" घोषित किया। → यह अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है और आश्वासन देता है कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, अवसादग्रस्त और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। → भारतीय संविधान का उद्देश्य आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों के साथ लोकतंत्र के उदार विचारों को साथ करना और इन सभी विचारों को भारतीय संदर्भ में फिर से काम में लाना था।

Q2. अल्पसंख्यक शब्द को विभिन्न समूहों द्वारा कैसे परिभाषित किया गया?

Answer. एन जी रंगा ने कहा कि असली अल्पसंख्यक देश की जनता हैं। ये लोग इतने निराश और प्रताड़ित और दमित हैं कि वे सामान्य नागरिक अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच नहीं है। ये वास्तविक अल्पसंख्यक हैं जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है।

Q3. प्रांतों को अधिक से अधिक शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क थे?

Answer. प्रांतों को अधिक से अधिक शक्ति के पक्ष में तर्क थे - → यदि केंद्र को जिम्मेदारियों से भर दिया गया था, तो यह प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सका। इसे अपने कुछ कार्यों से मुक्त करके, और उन्हें राज्यों में स्थानांतरित करके, केंद्र को और मजबूत बनाया जा सकता था। → यह महसूस किया गया कि शक्तियों का प्रस्तावित आवंटन उन्हें अपंग कर देगा।

Q4. महात्मा गांधी ने क्यों सोचा कि हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए?

Answer. महात्मा गांधी ने महसूस किया कि हर किसी को ऐसी भाषा में बात करनी चाहिए जिसे आम लोग आसानी से समझ सकें। हिन्दुस्तानी - हिंदी और उर्दू का मिश्रण भारत के लोगों के बड़े हिस्से की एक लोकप्रिय भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों की बातचीत से समृद्ध एक समग्र भाषा थी।

दीर्घ उत्तर

Q5. किन ऐतिहासिक ताकतों ने संविधान का स्वरूप तय किया?

Answer. संविधान का स्वरूप तय करने वाले ऐतिहासिक बल थे - संविधान बनाने से पहले के वर्षों में असाधारण रूप से बहुत बड़ी आशा का समय था, लेकिन निराशा को भी खारिज कर दिया। हालांकि भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था, लेकिन इसे भी विभाजित किया गया था। लोकप्रिय स्मृति में ताजा

1942 का भारत छोड़ो संघर्ष था - ब्रिटिश राज के खिलाफ शायद सबसे व्यापक लोकप्रिय आंदोलन। अगस्त 1946 की कलकत्ता हत्याओं के साथ पूरे उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग निरंतर दंगों का सिलसिला शुरू हुआ। भारत के विभाजन की घोषणा होने पर आबादी के हस्तांतरण के साथ नरसंहारों में हिंसा का समापन हुआ। नए राष्ट्र के सामने एक और समस्या देशी रियासतों की थी। राज की अवधि के दौरान, उपमहाद्वीप के लगभग एक-तिहाई क्षेत्र नवाबों और महाराजाओं के नियंत्रण में थे, जो ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा रखते थे, लेकिन वे अन्यथा अपने क्षेत्र में शासन या कुशासन से मुक्त रहते थे, जैसा कि वे चाहते थे। जब ब्रिटिश ने भारत छोड़ा, तब इन राजकुमारों की संवैधानिक स्थिति अस्पष्ट थी। यह वह पृष्ठभूमि थी जिसमें संविधान सभा की बैठक हुई थी।

Q6. दलित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न तर्कों पर चर्चा करें।

Answer. दलित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न तर्क थे - एक राजनीतिक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता थी जिसमें अल्पसंख्यक दूसरों के साथ तालमेल बनाकर रह सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो सकें। यह तभी संभव था जब अल्पसंख्यकों का राजनीतिक व्यवस्था के भीतर अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता था, उनकी आवाज़ सुनी जाती थी और उनके विचारों को ध्यान में रखा जाता था। केवल अलग मतदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक आवाज़ हो। गरीब और दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अछूतों को अल्पसंख्यक और दलित समूह माना जाता था क्योंकि उनके पास मूल अधिकारों और प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। ऐसी परिस्थितियाँ बनाना आवश्यक था जहाँ इन संवैधानिक रूप से निहित अधिकार का प्रभावी ढंग से आनंद उठाया जा सके। यह भी तर्क दिया गया था कि 'अछूतों' की समस्या को केवल सुरक्षा उपायों और सुरक्षा के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। उनकी विकलांगता सामाजिक मानदंडों और जाति समाज के नैतिक मूल्यों के कारण हुई।

Q7. संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक स्थिति और एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता के बीच क्या संबंध देखा?

Answer. जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तो यह कई कारणों से एक राष्ट्र के रूप में बहुत मजबूत नहीं था। यह इतने लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन था कि इसकी लगभग सारी दौलत पहले ही निकल चुकी थी और इसे भारत और पाकिस्तान के दो प्रभुत्वों में विभाजन की समस्या का सामना करना पड़ा था। केवल राज्यों को ही नहीं, बल्कि केंद्र को भी मजबूत करने के लिए शक्तियों का एक पुनर्स्थापन आवश्यक था। प्रांतों की अधिक शक्ति के तर्क ने विधानसभा में एक मजबूत प्रतिक्रिया को उकसाया। संविधान सभा ने सत्र शुरू होने के बाद से कई मौकों पर एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता को रेखांकित किया है। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वे एक मजबूत और संयुक्त केंद्र चाहते थे, इससे भी ज्यादा मजबूत केंद्र उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया था। दंगों और हिंसा के सदस्यों को याद दिलाते हुए कि देश को अलग थलग कर रहे थे, कई देशों ने बार-बार कहा था कि सांप्रदायिक उन्माद को रोकने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र की शक्तियों को बहुत मजबूत करना पड़ा। संयुक्त प्रांत के सदस्यों में से एक द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि केवल एक मजबूत केंद्र ही देश की भलाई के लिए योजना बना सकता है, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सकता है, एक उचित प्रशासन स्थापित कर सकता है और विदेशी आक्रमण के खिलाफ देश की रक्षा कर सकता है।

Q8. भाषा विवाद को हल करने के लिए संविधान सभा ने क्या तरीका अपनाया?

Answer. राष्ट्र की भाषा एक बहुत बड़ा विवाद था क्योंकि भाषा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो लोगों को एक-दूसरे से जोड़ सकती है और देश के लोगों में सामूहिक एकता की भावना ला सकती है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश होने के कारण सभी लोगों को एक ही भाषा सिखाना असंभव था क्योंकि इन सभी की मूल, परंपरा और संस्कृति में अंतर था। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि हर किसी को ऐसी भाषा में बात करनी चाहिए जिसे आम लोग आसानी से समझ सकें। हिन्दुस्तानी - हिंदी और उर्दू का मिश्रण भारत के लोगों के बड़े हिस्से की एक लोकप्रिय भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों की बातचीत से समृद्ध एक समग्र भाषा थी। उसने सोचा कि यह आदर्श भाषा होगी क्योंकि यह हिंदुओं और मुसलमानों और उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। संयुक्त प्रांत के एक कांग्रेसी, आर वी धुलेकर ने एक आक्रामक दलील दी कि हिंदी को संविधान-निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब बताया गया कि विधानसभा में हर कोई भाषा नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि वे योग्य नहीं हैं और उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। यह भी बताया गया कि दक्षिण में विरोध हिंदी के विरुद्ध था। दक्षिण भारतीयों ने इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना। बाद में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया, न कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में।